कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/विधि/ए–1/जय/6538/बी/2012 दिनांकः– 14-6-12

प्रेषकः–

हर सहाय मीणा I.A.S
निदेशक

प्रेषितीः–

समस्त
उप निदेशक/
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
.................................।

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं
राजस्थान, बीकानेर।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा(विधि)
जयपुर/जोधपुर।

विषयः–याचिका संख्या 7819/12 श्री सुरेशचन्द्र मीणा बनाम सरकार के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.12 की पालना बाबत्।

–00–

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य लिये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु निर्देशित किया है। इस संबंध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक–2009 की धारा 27 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 'किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कार्यों, पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधान मण्डलों, विधान सभा और संसदीय चुनावों से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं दिया जावेगा'। माननीय मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र क्रमांक एफ–21(19)शिक्षा/ग्रुप–1/प्राशि/09 दिनांक 20.04.12 के द्वारा भी अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यों मे नहीं लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः विषयान्तर्गत प्रकरण में पारित निर्णय के क्रम में यह निर्देश दिये जाते हैं कि विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जावे तथा इस बाबत् पालना रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

Sd
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. सहायक निदेशक शिक्षक संस्थापन अनुभाग कार्यालय हाजा को मय निर्णय प्रति के वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।
2. अनुभाग अधिकारी अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुभाग कार्यालय हाजा को मय निर्णय प्रति के वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।

निदेशक
13·6·12